न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)

UPHP010042752026

Bail Application/1226/2026
Asad Vs. State of U.P.
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1226/2026

असद पुत्र मौ0जीशान, निवासी हिजडो की बिल्डिंग गली नम्बर 3 चौकी दस सराय कटघर गुरादाबाद जिला मुरादाबाद उ०प्र० ।

बनाम

सरकार

मुकदमा अपराध संख्या–02 सन–2026
अ० धारा–137(2),64 बी0एन0एस0
व 3/4 पोक्सो अधिनियम
थाना– धौलाना, जिला– हापुड़।

03.06.2026

अभियुक्त असद पुत्र मौ0जीशान की तरफ से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है ।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि उपरोक्त अपराध में प्रार्थी/अभियुक्त को साजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त बिलकुल निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/ अभियुक्त को गलतफहमी एवं साजिश के आधार पर उपरोक्त केस में झूठा फंसाया गया है। उपरोक्त केस में एक भी गवाह ऐसा नहीं है जिसने घटना घटते अथवा तथाकथित पीडिता को बरामद करते देखा हो। तथाकथित घटना दिनांक 30.12.2025 की बतायी जाती है जिसकी प्राथमिकी तथा कथित घटना के पूरे ढाई दिन बाद यानि दिनांक 01.01.2026 की रात्रि में 19.38 पर दर्ज करायी गयी है। उपरोक्त केस की प्राथमिकी एवं गवाहों के बयानों में घोर विरोधाभास है परिवादी ने प्राथमिकी में अंकित किया है कि आज दिनांक 30.1.2.2025 को मेरी बीवी काम पर गयी परन्तु मेरी बेटी रूम पर ही रही जब मेरा बेटा स्कूल से घर आया तो बेटी रूम पर नही थी काफी तलाश करने के बाद मोबाईल में एक नम्बर मिला जिससे वो लगातार बात कर रही थी बह नम्बर 7819038225

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.06.04 14:06:33 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

असद पुत्र नामालूम निवासी मुरादाबाद हिजडो की बिल्डिंग करोला गली नम्बर 5 चौकी दस सराय का रहने वाला है प्राथमिकी से यह अंकित करने से अभिप्राय है कि आप की बेटी असद से बात करती है इसकी परिवादी एवं उसके परिवार को पूर्ण जानकारी थी। यह बात भी काबिले गौर है कि परिवादी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के पश्चात उसकी निशानदेही पर नक्शा नजरी विवेचक द्वारा तैयार किया गया उक्त नक्शा नजरी मे कही भी वादी का घर नही दर्शाया गया है जहा से तथाकथित पीडिता का जाना बताया गया है दूसरी बात भी नक्शा नजरी में दर्शायी गयी है ए–स्थान से तथाकथित पीडिता का मूवमेन्ट दर्शाया गया है जब तथाकथित पीडिता गयी उस समय परिवादी ने स्वंय को व अपनी पत्नी को घर से बाहर होना बताया है तो परिवादी को केस मालूम कि नक्शा नजरी के ए–पोईन्ट से दर्शाया गया स्थान से तथाकथित पीडिता गयी। पुलिस थाना धौलाना ने तथाकथित पीडिता को दिनांक 30.01.2026 को पिपलेहडा बोर्डर से करीब 100 मीटर पहले धौलाना की तरफ सडक किनारे बरामद होना बताया है जिसका धारा 180 बी एन एस का बयान न्यायालय मे दिंनाक 05.01.2026 को दर्ज कराया गया है तथाकथित पीडिता ने अपने बयान 183 बी एन एस एस के तहत न्यायालय मे दर्ज कराये गये बयान में बताया है कि 'घटना दिनांक 30.12.2025 की है मै मुरादाबाद निवासी असद पठान की पिछले पांच वर्षों से जानती हूं हम दोनो एक दूसरे को पंसद करते थे तथा शादी करना चाहते थे दिनांक 30.12.2026 को मै घर पर बिना किसी को बताये अकेले मुरादाबाद चली गयी । मुरादाबाद बस स्टाप पर मैने असद को बुलाया और वहा से हम दोनो देहरादून भले गये वहा आपसी सहमति से मेरे और असद के बीच में शारीरिक सम्बन्ध बने । मैं असद के साथ ही रहना चाहती हूं इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नही कहना है।' तथाकथित पीडिता के बयान 183 बी एन एस एस से पूर्व दिनांक 03.01.2026 को धारा 180 बी०एन०एस०एस० का ब्यान तथाकथित पीडिता ने दर्ज कराया जिसमे उसने बताया कि दिनांक 30.1.2.2025 को अपनी मर्जी से मुरादाबाद गयी वहा मुझे असद निवासी मुरादाबाद मिला मैं असद से प्यार करती हूं फिर वहा से हम दोनो देहरादून चले गये वहा हम दोनो साथ रहे। तथाकथित पीडिता के दोनो बयानात धारा 180 बी०एन०एस०एस० व 183 बी एन एस एस मे असद के साथ अपनी मर्जी से जाना बताया गया पुलिस थाना धौलाना ने तथाकथित पीडिता ''के'' का दिनांक 03.01.2026 को सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र हापुड पर चिकित्सीय परीक्षण कराया चिकित्सीय परीक्षण मे तथाकथित पीडिता के

शरीर पर कोई चोट नहीं पायी गयी है इसके अतिरिक्त तथाकथित पीडिता ने चिकित्सीय अधिकारी को स्वंय बताया कि 'मै ''के'' पिछले पांच सालो से असद को जानती हूं मैं उसे पंसद करती हूं मैं अपनी मर्जी से उसके साथ हूं बिना किसी जोर जबरदस्ती के' इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त पर लगाये गये आरोप झूठे तथा निराधार है तथा उनकी इन्ग्रीडिएन्ट भी पूरी नही होती है। उपरोक्त केस के विवेचक ने तथाकथित पीडिता के प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर बहजोई सम्भल से तथा कथित पीडिता की जन्मतिथि के सम्बन्ध में लिखित रिपोर्ट दिनाक 28.01.2026 को मांगी गयी जिसके सम्बन्ध में प्रधानाचार्य ने उसी पत्र जिस पर विवेचक द्वारा लिखित रिपोर्ट मांगी गयी थी पर निम्न लिखित अपनी रिपोर्ट दी जो इस प्रकार है–''मेरे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि ''के'' पुत्री श्री विक्रम सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर बहजोई जनपद सम्मल का नाम विधालय के प्रदेश रजिस्टर ने कमांक संख्या 2404 पर अंकित है जिसकी जन्मतिथि 09.07.2008 है जिसको हमारे विधालय द्वारा कक्षा 5 उर्त्तीण होने पर दिनांक 27.04.2019 को टी०सी० प्रदान की गयी।'' उक्त प्रमाणिकरण पर उक्त विधालय की प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर मय मोहर व दिनांक एवं मोबाईल नम्बर अंकित है। इसके अतिरिक्त वादी मुकदमा ने एक अन्य लीविंग सर्टिफिकेट एफ०ई०एस० पब्लिक स्कूल एन०टी०पी सी रोड पिपलेहडा (मसूरी) हापुड का विवेचक महोदय को उपलब्ध कराया है जो पार्ट आफ केस सी०डी० है जिसका खुलासा सी०डी० संख्या 1 ने उल्लेख किया है तथा उक्त लीविंग सर्टिफिकेट का सी०डी० ने पर्चा नम्बर 34 पर है। अभियोजन द्वारा तथाकथित पीड़िता की जन्मतिथि के सम्बन्ध मे विवेचक महोदय को दो प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये गये है जो अपने आप मे संदिग्ध है। जबकि तथाकथित घटना के समय तथाकथित पीडिता पूर्ण रूप से बालिग थी और उसने अपने दोनो बयानात धारा 180 बी एन एस एस व 183 बी एन एस एस मे खुद अपनी मर्जी से प्रार्थी/अभियुक्त असद के शहर मुरादाबाद जाकर उसे उसके घर से बुलाकर स्वंय प्रार्थी/अभियुक्त को देहरादून लेकर गयी है ओर अपनी मर्जी से प्रार्थी /अभियुक्त से शारीरिक सम्बन्ध बनाने बताये है।। इस प्रकार सम्पूर्ण विवेचना में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है जिससे प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध प्रेमाफेसाई कोई केंस मेंडआउट होता हो। उपरोक्त केस की तथाकथित पीडिता ने स्वयं स्वीकार किया है कि मैं अपने घर वालों से बिना बताये मुरादाबाद गयी थी और असद को उसके घर से बुलाया । वहा से हम दोनों देहरादून चले गये यहा आपसी सहमति से मेरे और असद के बीच में शारीरिक

सम्बन्ध बने। प्रार्थी/अभियुक्त ने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया है जो बी एन एस की धारा 137(2), 64 व 3/4 पोक्सो अधिनियम की परिधि में आता हो या उन धाराओ को इन्ग्रीडियेन्ट पूरी होती हो। प्रार्थी/अभियुक्त के पिता मौ0 जीशान एक लम्बे समय से गम्भीर रूप से टी०बी० ,बवासीर लकवा आदि बीमारियो से ग्रस्त है जो कुछ भी काम काज करने में असमर्थ है जो जेरे इलाज है । घर केवल प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा की गयी मेहनत मजदूरी से चलता है चूकिं प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 06.01.2026 से लगातार उपरोक्त केस में जेल में निरूद्ध है उसके परिवार में प्रार्थी/अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा कमाने वाला नही है। इसलिये परिवार के भूखा मरने की नौबत आ गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नही है ना हो वह किसी अपराधिक मामले मे सजायाफता है। उपरोक्त प्रकरण मे विवेचक द्वारा काफी समय पूर्व आरोप पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा चुका है इसलिये अब कोई साक्ष्य विवेचना से सम्बन्धित आने की गुजाईश नही रह गयी है । प्रार्थी/ अभियुक्त अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी/ अभियुक्त के भागने क गवाहो को तोडने धमकाने का कोई अन्देशा नही है। प्रार्थी/अभियुक्त पुलिस विवेचना में तथा न्यायालय की कार्यवाही में सहयोग देने को तैयार है और सदैव तैयार रहेगा। प्रार्थी/ अभियुक्त के द्वारा मान्य न्यायालय का क्षेत्राधिकार छोडकर जाने की कोई सम्भावना नही है। प्रार्थी/अभियुक्त दि0 06.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है । उक्त आधारों पर प्रार्थी/ अभियुक्त को दौरान विचारण जमानत पर छोड़े जाने का तर्क किया गया।

इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियेाजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा तर्क किया कि अभियुक्त का जुर्म गम्भीर प्रकृति का अपराध है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि '' मेरा नाम विक्रम सिंह पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी अकबरपुर थाना बहजोई जनपद सम्भल का रहने वाला हूँ । पांच साल से शेखुपुर खिचरा थाना धौलाना जनपद हापुड़ मे, मै और मेरी बीवी, 2 बच्चे रहते है । मै चिनाई का काम कार्य करता हूँ । मेरी बीबी और एक बेटी फैक्ट्री मे कार्य करती है। आज दिनांक 30.12.2025 को मेरी बीबी काम पर गयी परन्तु मेरी बेटी रूम पर रही । जब मेरा बेटा स्कूल से घर आया तो बेटी रूम पर नही थी । काफी तलाश करने के बाद मोबाईल एक नम्बर

मिला जिससे वो लगातार बात कर रही थी । वह नम्बर 7819038225 असद पुत्र नहीं मालूम निवासी मुरादाबाद हिजडौ की बिल्डिंग करोला गली न0 5 चौकी दस सराय थाना कटघर का रहने वाला है जो मेरी बेटी को बहला फुसला कर ले गया है अतः आपसे अनुरोध है कि कानूनी कृपा करे ।''

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक, की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

सुनने एवं पत्रावली /केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त पर वादी की अव्यस्क पुत्री ''के'' को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ बलात्संग /प्रवेशन लैंगिक हमला करने का गंभीर आरोप है । दौरान विवेचना विवेचक द्वारा पीडिता की आयु/जन्मतिथि की बाबत संकलित एफ0ई0एस0 पब्लिक स्कूल पिपलेडा , हापुड द्वारा जारी टी0सी0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें पीडिता की जन्मतिथि 01.01.2009 अंकित है , जिससे कथित घटना के समय पीडिता की आयु लगभग 16 वर्ष 11माह 29 दिन प्रथम दृष्टया दर्शित होती है । तथा प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर बहजोई सम्भल द्वारा विवेचक को दी गयी रिपोर्ट में पीडिता की जन्मतिथि 09.07.2008 अंकित है , जिससे कथित घटना के समय पीडिता की आयु लगभग 17 वर्ष 05 माह 21 दिन प्रथम दृष्टया दर्शित होती है । परन्तु उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों ही जन्मतिथियो के आधार पर पीडिता कथित घटना के समय 18 वर्ष से कम आयु की अव्यस्क थी। पीडिता द्वारा अपने बयान अ0धारा 180 व 183 बी0एन0एस0एस0 में अभियुक्त के साथ मुरादाबाद से देहरादून जाने , अभियुक्त व उसके मध्य शारीरिक सम्बन्ध स्थापित होने का कथन किया है । जहां तक बचाव पक्ष द्वारा पीडिता के सहमति से अभियुक्त के साथ जाने का तर्क है, तो इस सम्बन्ध में अव्यस्क पीडिता के संरक्षक की सहमति के बिना अव्यस्क पीडिता की सहमति महत्वहीन होती है । मामला पोक्सो अधिनियम के जघन्य अपराध से सम्बन्धित है । अभियुक्त का कृत्य अत्यन्त गंभीर व जघन्य प्रकृति का है।

मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त असद पुत्र मौ0जीशान का जमानत प्रार्थना पत्र मु0अ0सं0 02 सन–2026 ,अ० धारा–137(2),64 बी0एन0एस0 व 3/4 पोक्सो अधिनियम ,थाना धौलाना, जिला– हापुड के प्रकरण में निरस्त किया जाता है।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।